प्रकरण संख्या : 1/2024
जगदीश वगै. बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 23.04.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या	:	1/2024
दायर दिनांक	:	19.01.2024
निर्णय दिनांक	:	23.04.2025

1. जगदीश पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील दौसा जिला दौसा
2. रामकिशोर पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील दौसा जिला दौसा
3. रामस्वरूप पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज
2. उप तहसीलदार भाण्डारेज
3. कान्तीदेवी पत्नी गजानन्द जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील दौसा जिला दौसा
4. शम्भुदयाल पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडी बैरास स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1002/528, 1003/530, 1005/524, 1008/653, 1009/522, 1012/527, 1062/521, 1064/523, 1066/545, 529, 540, 541, 983/370, 984/370, 986/371, 988/372, 990/443, 992/444, 993/516, 996/517, 998/518, 999/520 कुल किता 22 कुल रकबा 8.34 है० स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते हैं। प्रार्थीगण अपनी फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली व तारबन्दी जा[illegible] की सुरक्षार्थ लगाना चाहते हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक [illegible] को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के [illegible] काश्त उपयोग उपभोग की खसरा नम्बर 540, 984/370 वाके ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज की मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 3, 4 के विरुद्ध, बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय

प्रकरण संख्या : 1/2024
जगदीश वगै. बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 23.04.2025

कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी 1, 2 की ओर से तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बैरावास तहसील भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 540, 984/370 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरान पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार भाण्डारेज के जवाब से प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की पुष्टि होती है। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम बैरावास तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 540, 984/370 का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:39 IST
Reason: SelfAttested